

ACM काको नु. ७७७ ८

फर्द अहकाम

रुजा बनाम अमल गोरे

नाम न्यायालय

केस संख्या ८९/१९ डाका

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
१६/२५		<p>पञ्चवली प्रस्तुत/वकीलवादी उपस्थित। प्रतिवादी उप.। कुरेजाल सिपाई पर बट्टा मुनी गर्द। पञ्चवली वादते साजेश २१/२५ को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(अमल) सहायक कलक्टर आमेर मंजयपुर</p>
२१/२५		<p>पञ्चवली प्रस्तुत। व. उ. उप.। पुलिठु मा. वादी साजेश दिनांक २/५/२०२५ को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(अमल)</p>
२५/२५		<p>पञ्चवली प्रस्तुत/व. उ. उप.। वाद वकी मुलीबुद तहसील का जालसू से जाल कुरेजाल के आस्था पर वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय ब डिक्री पुच्छ से लिखवाया गया। पञ्चवली फैसल अमल होकर दायिल दफ्तार हो।</p> <p style="text-align: right;">(अमल) सहायक कलक्टर आमेर मंजयपुर</p>



न्यायालय :- सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.



नियमित वाद संख्या 89/2019

वाद प्रस्तुति दिनांक : 12.09.2019

1. सूजा पुत्र श्री सुवा
2. रामेश्वर पुत्र श्री नानूराम उर्फ नानूडा
3. सीताराम पुत्र श्री नानूराम उर्फ नानूडा
4. मूलचंद पुत्र श्री घीसा
5. राम कुंवार पुत्र श्री घीसा
6. नन्धूराम पुत्र श्री घीसा

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम बुगालिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..... वादीगण

बनाम

1. कुमार गौरव पुत्र गुटया
2. पंकज पुत्र गुटया
3. पवन पुत्र गुटया
4. जितेन्द्र पुत्र गुटया
5. नाथू लाल पुत्र सुवा
6. विमला देवी पत्नी सुवा
समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम बुगालिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
7. अनुराग मीणा पुत्र श्री हनुमान सहाय मीणा, जाति मीणा, निवासी मकान नंबर 23, विजय नगर, मालवीय नगर, जयपुर।
8. कमलेश पुत्र शिम्भु
9. राजकुमार पुत्र शिम्भु
10. रमेश पुत्र शिम्भु
11. सुरज्ञान पुत्र शिम्भु
समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम बुगालिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
12. सुरज्ञान देवी पत्नी भैरूराम
13. कृष्ण पुत्र भैरूराम
14. दिनेश पुत्र भैरूराम
15. सुरेश पुत्र भैरूराम
16. भगौती सहाय पुत्र सुवा
17. बाबूलाल पुत्र सुवा
समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम बुगालिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
19. उप पंजीयक महोदय, आमेर तहसील आमेर, जिला जयपुर।
20. जयपुर थार ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबंधक, जयपुर थार ग्रामीण शाखा आमेर, जिला जयपुर।
1. एस बी आई बैंक जरिये शाखा प्रबंधक, एस बी आई बैंक शाखा आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

सहायक कलक्टर
आमेर जयपुर

22. आई डी बी आई बैंक लि० जरिये शाखा प्रबंधक, आई डी बी आई बैंक लि० शाखा वैशाली नगर जयपुर, जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत - 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955



दिनांक 02.05.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि आराजी वाके ग्राम बुगालिया, पटवार हल्का बिचपडी, भू-अभिलेख क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 331 रकबा 3.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 337 रकबा 3.94 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 7.44 हैक्टेयर जिसमें वादी संख्या 1 का 2/9 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/9 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/9 हिस्सा, वादी संख्या 4 का 2/27 हिस्सा, वादी संख्या 5 का 2/27 हिस्सा, वादी संख्या 6 का 2/27 हिस्सा निहित है। शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 का निहित है। उक्त आराजीयात ही विवादग्रस्त है। भूमि विवादग्रस्त का आज दिन तक विधिवत रूप से तकासमा नहीं हो रखा है, भूमि अविभाजित संयुक्त खातेदारी की है, जिस पर वादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। लेकिन वादग्रस्त आराजीयात का विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है, तथा राजस्व रिकॉर्ड में शामिलती दर्ज है। दिनांक 12.08.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 मौके पर अजनबी व्यक्तियों को लेकर भूमि विवादग्रस्त पर आया तथा जमीन की नाप जोख करने लगा, वादी के पूछने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ने वादी को धमकी दी कि मनबंट तकासमे को नहीं मानता है तथा वादग्रस्त आराजीयात की अच्छी अच्छी भूमि पर कॉलोनी काटकर छोटे-छोटे भूखण्डों में बेचान करेगा तथा वादग्रस्त आराजीयात का तकासमा नहीं करवायेगा। इस कारण वादी को यह वाद पत्र पेश करना लाजमी हुआ है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बंद किया गया। वादी व प्रतिवादीगण की पत्रावली में प्राथमिक डिक्री पर बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने कब्जे काश्त को ध्यान में रखकर प्राथमिक डिक्री हेतु निवेदन किया। तदुपरान्त वाद वादी बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया तदनुसार तहसीलदार रामपुरा डाबडी को निर्देशित किया गया कि वे राज० टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके ग्राम बुगालिया, पटवार हल्का बिचपडी, भू-अभिलेख क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 331 रकबा 3.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 337 रकबा 3.94 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 7.44 हैक्टेयर भूमि का बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार जालसू से कुर्रजात प्राप्त होने पर उभयपक्ष




प्रकरण संख्या - 89/2019
बउनवानी - सुजा बनाम कुमार गौरव वगैरे
निर्णय दिनांक :- 02.05.2025

को बहस व आपत्ति हेतु अवसर दिया गया। प्रतिबन्धित अधिवक्ता की ओर से आपत्ति कुर्रेजात पेश करने हेतु समय चाहा। कुर्रेजात रिपोर्ट पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :-

1. अनुराग मीना पुत्र हनुमान सहाय मीना हि. 93/248 जाति मीना निवासी मकान नं. 23 विजय नगर, मालवीय नगर जयपुर खातेदार, कमलेश पुत्र शिम्भु हि. 387/24800, कुमार गौरव पुत्र गुटया हि. 1/16 राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा आमेर, जितेन्द्र कुमार पुत्र गुटया हि. 1/16 राहिन एसबीबीजे शाखा आमेर, नाथू पुत्र सुवा हि. 1/4, पंकज कुमार पुत्र गुटया हि. 1/16 राहिन एसबीबीजे शाखा आमेर, पवनकुमार पुत्र गुटया हि. 1/16 राहिन एसबीबीजे शाखा आमेर, मोहनी पुत्री नारायण हि. 1/16, राजकुमार पुत्र शिम्भु हि. 387/24800, रमेश पुत्र शिम्भु हि. 387/24800, विमला देवी पत्नी शिम्भु हि. 389/24800 समस्त जातियान मीणा सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 331/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 331/2 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नंबर 337/2 रकबा 2.08 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.48 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. नन्छूराम पुत्र घीस्या हि. 5511/49600 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा कालवाड, भंवर पुत्र मूलचंद हि. 2756/49600, रामकुंवार पुत्र घीस्या हि. 5511/49600, रामेश्वर पुत्र नानू हि. 8267/49600, सुजा पुत्र सुवा हि. 16533/49600 राहिन आईडीबीआई बैंक लि. शाखा वैशाली नगर, जयपुर खातेदार, सुरज्ञान पुत्र मूलचंद हि. 2756/49600, सीताराम पुत्र नानू हि. 8266/49600 समस्त जातियान जाट सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 331/3 रकबा 2.94 हैक्टेयर, खसरा नंबर 331/4 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 331/5 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 337/1 रकबा 1.86 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 4.96 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस



नियमित वाद संख्या 89/2019

वाद प्रस्तुति दिनांक : 12.09.2019

1. सूजा पुत्र श्री सुवा
2. रामेश्वर पुत्र श्री नानूराम उर्फ नानूडा
3. सीताराम पुत्र श्री नानूराम उर्फ नानूडा
4. मूलचंद पुत्र श्री घीसा
5. राम कुंवार पुत्र श्री घीसा
6. नन्छूराम पुत्र श्री घीसा

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम बुगालिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..... वादीगण

बनाम

1. कुमार गौरव पुत्र गुटया
2. पंकज पुत्र गुटया
3. पवन पुत्र गुटया
4. जितेन्द्र पुत्र गुटया
5. नाथू लाल पुत्र सुवा
6. विमला देवी पत्नी सुवा

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम बुगालिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

7. अनुराग मीणा पुत्र श्री हनुमान सहाय मीणा, जाति मीणा, निवासी मकान नंबर 23, विजय नगर, मालवीय नगर, जयपुर।
8. कमलेश पुत्र शिम्भु
9. राजकुमार पुत्र शिम्भु
10. रमेश पुत्र शिम्भु
11. सुरज्ञान पुत्र शिम्भु
समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम बुगालिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
12. सुरज्ञान देवी पत्नी भैरूराम
13. कृष्ण पुत्र भैरूराम
14. दिनेश पुत्र भैरूराम
15. सुरेश पुत्र भैरूराम
16. भगौती सहाय पुत्र सुवा
17. बाबूलाल पुत्र सुवा
समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम बुगालिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
19. उप पंजीयक महोदय, आमेर तहसील आमेर, जिला जयपुर।
20. जयपुर थार ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबंधक, जयपुर थार ग्रामीण शाखा आमेर, जिला जयपुर।

जयपुर।

एस बी आई बैंक जरिये शाखा प्रबंधक, एस बी आई बैंक शाखा आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

Bm/21
सहायक कलेक्टर
आमेर जयपुर

22. आई डी बी आई बैंक लि० जरिये शाखा प्रबंधक, आई डी बी आई बैंक लि० शाखा वैशाली नगर जयपुर, जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत - 53, 188 अन्तर्गत
अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:-

1. अनुराग मीना पुत्र हनुमान सहाय मीना हि. 93/248 जाति मीना निवासी मकान नं. 23 विजय नगर, मालवीय नगर जयपुर खातेदार, कमलेश पुत्र शिम्भु हि. 387/24800, कुमार गौरव पुत्र गुटया हि. 1/16 राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा आमेर, जितेन्द्र कुमार पुत्र गुटया हि. 1/16 राहिन एसबीबीजे शाखा आमेर, नाथू पुत्र सुवा हि. 1/4, पंकज कुमार पुत्र गुटया हि. 1/16 राहिन एसबीबीजे शाखा आमेर, पवनकुमार पुत्र गुटया हि. 1/16 राहिन एसबीबीजे शाखा आमेर, मोहनी पुत्री नारायण हि. 1/16, राजकुमार पुत्र शिम्भु हि. 387/24800, रमेश पुत्र शिम्भु हि. 387/24800, विमला देवी पत्नी शिम्भु हि. 389/24800 समस्त जातियान मीणा सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 331/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 331/2 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नंबर 337/2 रकबा 2.08 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.48 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. नन्छूराम पुत्र घीस्या हि. 5511/49600 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा कालवाड, भंवर पुत्र मूलचंद हि. 2756/49600, रामकुंवार पुत्र घीस्या हि. 5511/49600, रामेश्वर पुत्र नानू हि. 8267/49600, सुजा पुत्र सुवा हि. 16533/49600 राहिन आईडीबीआई बैंक लि. शाखा वैशाली नगर, जयपुर खातेदार, सुरज्ञान पुत्र मूलचंद हि. 2756/49600, सीताराम पुत्र नानू हि. 8266/49600 समस्त जातियान जाट सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 331/3 रकबा 2.94 हैक्टेयर, खसरा नंबर 331/4 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 331/5 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 337/1 रकबा 1.86 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 4.96 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 02.05.2025 को जारी किया।

दस्तख्त—
 ओहदा—



[Signature]
 सहायक कलक्टर
 आमेर मु० जयपुर

मुददई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	-	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	-
स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमि		
बबत् इजराय हुकमानामा	4 रुपये		इनर	4 रुपये	
मुतफरित			बबत् इजराय हुकमानामा		
मीजान			मुतफरित		
			मीजान		

[Signature]
 सहायक कलक्टर
 आमेर मु० जयपुर